(ख) यूनिटों की संख्या और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मंजूर कीगयी सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपये)

	यूनिटों की संख्या	मंजूर की गयी रकम
1990–91	35	366.80
1991–92	29	263.30
1992–93	38	390.50

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों प्रावधानों तथा साथ ही साथ लोक वित्तीय संस्था (विश्वसनता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 में किय गये प्रावधानों के अनुसार, यूनिटवार ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता ।

Smugglers of Narcotics

2623. SHRI SHUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that smuggling of narcotics into and from the country continues unabated; if so, the details of the narcotics hauls made by various authorities during the past three months; and

(b) what steps have been and are being taken to effectively curb smuggling and illegal production of narcotic and psychotropic drugs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Smuggling of narcotics does take place. But stringent measures are being taken to curb the menace. The details of the narcotic seizures made by tht various authorities during the past three months are as under:

Name of Authority	Opium	Morphine	Heroin	Ganja	Hashish	Cocaine	Methaqualone	Acetic Anhydride
			(Quantity in kgs.)					
NCB	147	—	41	3122	294	0.060	1412	—
DRI	—	—	—	—	—	—	1786	—
Cus. & Central Excise	—	—	7	50	58	—	628	—
CBN	14	—	3	135	—	—	—	—
BSF	6	—	2	174	5	—	—	70 (1ts.)
CBI	—	—	6	—	1	—	—	—
State Police	5	—	679	63762	5448	—	4850	560 (1ts.)
State Excise	—	—	1	330	3.240	—	—	—

(b) Instructions have been issued to all enforcement agencies to maintain the utmost vigil and step up enforcement efforts under the stringent provisions contained in the NDPS Act. Training is being imparted to officers to improve their effectiveness. Vehicles & communication equipments ha have been provided to enforcement agencies. Part of Indo-Pak Border has been fenced.

बिहार में कार्यरत बैंक

2624. श्री एस. एस. अहलुवालिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाएं कार्यरत हैं और उनका जिला वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनमें से कुल कितनी शाखाएं गत पांच वर्षों से घाटे में चल रही हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार घाटे में चलने वाली शाखाओं को बन्द करने पर विचार कर रही है; यदि नहीं, तो ऐसी शाखाओं को लाभप्रद बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या सरकार बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने पर भी विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) : (क) दिनांक 30-6-1993 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 2995 शाखाए कार्य कर रही थीं। इन बैंकों की जिलावार संख्या विवरण-1 में दी गई हैं। (नीचे देखिए)

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको से प्रस्ताव किया है कि वे अपनी उन कुछ शाखाओं को या तो "वसूली" शाखाओं में बदल दें या फिर बद कर दें जो निरंतर घाटा उठा रही है और सभी प्रयासों के बावजूद, जिनकी वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है। ऐसी शाखाओं की संख्या लगभग 100 है। घाटा उठाने वाली शाखाओं में परिवर्तन लाने के लिये उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं :-

(1) अनिष्पादित ऋणों को सक्रिय करना ताकि उनका उन्नयन निष्पादित ऋण की श्रेणी में लाया जा सके।

(2) ऊपरी व्यय में कमी करना।

(3) निरंतर घाटा उठाने वाली शाखाओं को बंद किये जाने/उनका विलय किये जाने की जांच करना।

(4) उत्पादकता में सुधार करना, और

(5) नकदी जमाराशि में कमी करना, यदि यह अधिक हो।

(घ) और (ङ) 1990-95 की वर्तमान अवधि शाखा विस्तार नीति के अंतर्गत बिहार में 14 ग्रामीण केन्द्रों और 59 शहरी केन्द्रों को शाखा खोले जाने के लिये आबंटित किया गया है। इन केन्द्रों की विस्तृत जानकारी विवरण-II में दी गई है। नीचे देखिए) जहां तक अर्द्धशहरी केन्द्रों का संबंध है, बैंक अखिल भारत आधार पर उन्हें आबंटित कोटे के भीतर अपने पसंद के केन्द्रों में शाखायें खोलने के लिये स्वतंत्र हैं। अर्द्धशहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के उद्देश्य से कोई राज्यवार कोटा आबंटित नहीं किया गया है।

विवरण-I

30-6-1993 की स्थिति के अनुसार बिहार में कार्यरत राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाओं की जिलावार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	शाखा का नाम
1		2
1.	अररिया	41
2.	औरंगाबाद	42